# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 22/15 GCMS NO 2015/00172

1. शंकर लाल पुत्र पन्ना लाल जाति बैरवा
2. रामफूल पुत्र तीजू जाति बैरवा
3. रामस्वरूप पुत्र पांचू जाति बैरवा
4. रामप्रसाद पुत्र कोरया जाति बैरवा निवासीयान ढाणी किशनपुरा छारोदा का टापरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मुल्ली पुत्री पन्नालाल जाति बैरवा
2. राजेन्द्र पुत्र काना जाति बैरवा
3. हरिसिह पुत्र काना जाति बैरवा
4. लालचंद पुत्र काना जाति बैरवा
5. मनोहर पुत्र घासी जाति बैरवा
6. रामजीलाल पुत्र सोन्या जाति बैरवा
7. छीतर पुत्र नाथू जाति बैरवा
8. हीरालाल पुत्र नाथू जाति बैरवा
9. प्रभूलाल पुत्र कोरया जाति बैरवा
10. शंकरलाल पुत्र कोरया जाति बैरवा
11. बाबूलाल पुत्र कोरया जाति बैरवा
12. अशोक पुत्र कोरया जाति बैरवा
13. प्रेम देवी बेवा दुर्गालाल जाति बैरवा निवासीयान ढाणी किशनपुरा छारोदा का टापरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
14. माया पुत्री दुर्गालाल नाबालिंग जरिये संरक्षक मॉ प्रेम देवी बेवा दुर्गालाल
15. रामजीलाल पुत्र गोपी जाति बैरवा
16. राधेश्याम पुत्र गोपी जाति बैरवा
17. रमेश पुत्र गोपी जाति बैरवा
18. मीरा पुत्री गोपी जाति बैरवा
19. संतरा पुत्री गोपी जाति बैरवा
20. कल्याण पुत्र कोरया जाति बैरवा
21. हीरालाल पुत्र कोरया जाति बैरवा
22. बाबूलाल पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा
23. रामकरण पुत्र तेज्या जाति बैरवा
24. हनुमान पुत्र श्रीराम जाति बैरवा
25. रघुवीर पुत्र श्रीराम जाति बैरवा
26. भगवान पुत्र श्रीराम जाति बैरवा
27. सूरजमल पुत्र श्रीराम जाति बैरवा
28. प्रभू पुत्र रामकरण जाति बैरवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

29. प्रेमचंद पुत्र रामकरण जाति बैरवा
30. परमानन्द पुत्र रामकरण जाति बैरवा
31. रमेश पुत्र धन्ना जाति बैरवा
32. कमला पत्नि रामनारायण जाति बैरवा
33. बुद्धिप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति बैरवा
34. जितेन्द्र पुत्र चतरू जाति बैरवा
35. देशराज पुत्र चतरू जाति बैरवा
36. बजरंगा पुत्र सुन्दर जाति बैरवा
37. बदरी पुत्र सुन्दर जाति बैरवा
38. जगदीश पुत्र काना जाति बैरवा
39. रामप्रसाद पुत्र गोपाल जाति बैरवा
40. राजेन्द्र पुत्र गंगाधर जाति बैरवा
41. मनोहर पुत्र गंगाधर जाति बैरवा
42. कैलाश पुत्र गंगाधर जाति बैरवा
43. आशाराम पुत्र गंगाधर जाति बैरवा
44. हजारी पुत्र रामदेवा जाति बैरवा
45. रामकिशन पुत्र देवीराम जाति बैरवा
46. भागचंद पुत्र देवीराम जाति बैरवा निवासीयान ढाणी किशनपुरा छारोदा का टापरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
47. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 3179/86 निर्णय दिनांक 15.4.86 न्यायालय उप जिलाधीश, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री रतन शंकर नागर,श्री हरिमोहन जाट

दिनांक 28.10.2024

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.4.86 न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में काना पुत्र लोहडया, मनोहर पुत्र घासी ,कोरया पुत्र सुखदेवा वगैरहा जाति बैरवा [illegible] पुत्र सुखदेवा ,छीतर ,हीरालाल पुत्रान नाथू ,देव्या,रामस्वरूप पिसरान पांच बैरवान [illegible] सहखातेदारी की सहमति से खाता संख्या 149,42,194 ग्राम आ[illegible] के अनुसार उनकी सहमति से प्रत्येक आसामी के नाम के आगे अंकित आराजी का [illegible]0खोलने की सहमति दिये जाने पर उप जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा सहमति के आधार प[illegible]खाता संख्या 149, 42 व 194

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

के रजामंदी से प्रकरण संख्या 3179/86 दर्ज किया जाकर दिनांक 15.4.86 को तकासमा कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांटान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 6.4.15 को प्रस्तुत की गई।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफे कानून एवं रूयेदाद मिसल होने सें लायके मन्सूख है। पक्षकारान प पक्षकारान के बुर्जग वरवक्त निर्णय दिनांक 15.4.86 खाता संख्या 149,42.194 वाके आलनपुर के सहखातेदार थे। सभी खातेदारान का भूमि के प्रत्येक भाग पर अधिकार है जब तक कि पक्षकारान मे विधिक विभाजन न हो। प्रार्थीयान वरवक्त निर्णय सहखातेदार थे। प्रार्थीयान ने बंटवारे के संबंध मे ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया ना ही कोई दस्तखत अगूठा निशानी की बिना प्रार्थीयान की सहमति के बिना प्रार्थीयान को सुने प्रार्थीयान को नोटिस दिये तकासमा का निर्णय किया है जो विधि एवं न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। ख0न0 580/2 रकबा 7 बीघा 4 विस्वा का है और निर्णय के मुताबिक बताया गया 7 बीघा 4 विस्वा से न केवल ज्यादा है बल्कि उक्त रकबे का हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना चाहिए था। जो नही किया । यही कारण है कि पत्रावली मे नक्शानुसार विभाजन किया गया दर्ज किया लेकिन नक्शा पत्रावली मे संलग्न नही है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि विभाजन पोषीदा तरीके से कुछ व्यक्यिो का फायदा पहूँचाने के लिए पटवारी से मिलकर अपीलांट को नुकसान पहूँचाने हेतु फर्जी दस्तखतो से बिना अपीलांट की सहमति से किया है। बंटवार मे तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होता है अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से सहमति कब ली कब तहसीलदार को नोटिस जारी किया कब तहसीलदार ने सहमति दी और तकासमा स्कीम का नक्शा कब एप्रूब्ड किया तािि तकासमा स्कीम से पूर्व 580 ख0न0 कहॉ पर था इसका नक्शा भी पत्रावली मे नही लिया ना ही विभाजन के अनुसार पूर्व के ख0न0 580/2 के नक्शे के अनुसार कौन पक्ष किस स्थान का सेपरेट मालिक होगा दर्ज शुदा नक्शा लेना चाहिए था। जो नही लेना इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि निर्णय बिना नक्शे के बिना रेवेन्यू रिकार्ड को देखे बिना निर्णय किया है। उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी को जब हुई जब प्रार्थीयान की भूमि पर रेस्पो0 ने अपना क्लेम कर झगडा फसाद करने पर दिनांक 16.3.15 को आमादा हुए। इस प्रकार अपील अन्दर मियाद होने से अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ताओ ने बहस मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारा आपसी सहमति से खाता संख्या 149, 42 व 194 [illegible] प्रस्तुत करने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तह[illegible]दा[illegible]रा तकासमा तस्दीक कर स्वीकार योग्य होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के [illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बंटवारा वर्ष 1986 मे हुआ है। बंटवारे अनुसार ही मौके पर बुर्जगान व उनके वारिसान मौके पर काबिज है। उनका अपना अपना हिस्सा सेपरेट राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो चुका है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील 29 वर्ष पश्चात पेश की गई। जिसके साथ मे संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मे डिले का कोई स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। इस प्रकार यदि अपीलांट को तकासमा बाबत कोई परेशानी होती तो उनके द्वारा उसी समय संबंधित न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिए थी या उसकी अपील करनी चाहिए थी। उनके द्वारा यह कार्यवाही तत्समय नहीं की गई। यह अपील भी उनके द्वारा 29 वर्ष पश्चात की गई है। वर्तमान मे विवादित भूमि का स्वरूप ही बदल चुका है भूमि को कब्जे अनुसार काश्तकारो द्वारा बोरिंग आदि लगवाकर उसमे लाखो रूपये खर्च कर काबिले काबिज काश्त करवा लिया गया है एवं कुछ खातेदारो द्वारा भूमि का बेचान भी कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे तकासमा करोन हेतु प्रार्थना पत्र अपीलांट व रेस्पो0 के बुर्जर्गान द्वारा आपसी सहमति से कब्जा अनुसार करने हेतु पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से तकासमा स्कीम तलब की गई। पटवारी हल्का द्वारा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर तहसीलदार द्वारा तकासमा स्कीम को तस्दीक किये जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने पर ही तकासमा किया गया है। अपीलांट द्वारा यह अपील तकासमा दिनांक 15.4.86 के विरूद्व वर्ष 2015 मे पेश की गई है जो लगभग 29 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम को जो प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न किया गया है उसमे बिलम्व का कारण दिनांक 16.3.15 को झगडा फसाद होने पर जानकारी होना बताय है परन्तु झगडे के संबंध मे किसी प्रकार की प्राथमिकी या कोई दस्तावेज संलग्न पत्रावली नही है। इस कारण अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं तकासमा आपसी सहमति से होने से, आपसी सहमति के विरूद्व अपील चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने एवं धारा 5 मियाद अधिनियम से बाधित होने के कारण खारिज योग्य है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 3179/86 निर्णय दिनांक 15.4.86 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखाया जाकर उजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:16 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner